बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
!!आम सूचना!!

बिहार विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2010 के तहत 34540 कोटि के सहायक शिक्षकों के नियुक्ति के क्रम में अवशेष रिक्त 2413 पदों पर नियुक्ति के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एम.जे.सी. संख्या 297/2007 में पारित आदेश के आलोक में राजकीयकृत प्रांरभिक विद्यालयों में 34540 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रख्यापित बिहार विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2010 के आलोक में, संबंधित नियुक्ति प्राधिकार–सह–जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अभ्यर्थियों की काउन्सेलिंग जिला स्तर पर आहूत कर नियुक्ति की कार्रवाई की गयी जिसमें समेकित रूप से 2413 पदों पर छोड़कर शेष पदों पर की नियुक्ति की कार्रवाई संपन्न की जा चुकी है।

(2). 2413 रिक्त पदों पर नियुक्ति के निमित्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 17899/2012(कांति कुमारी एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य) एवं समरूप मामले में दिनांक 15.01.2014 तथा एल0पी0ए0 संख्या 1491/2014 (विजेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य) एवं समरूप मामले में दिनांक 24.03.2015 को पारित आदेश के आलोक में पूर्व की निर्धारित तिथि पर काउन्सेलिंग के दौरान अनुपस्थित रहने वाले कुल 1929 अभ्यर्थियों का काउन्सेलिंग जिला मुख्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कैम्प आयोजित कर की जाएगी। काउन्सेंलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान करने के उपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र (औपबंधिक रूप से) निम्नवत् निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्गत की जाएगी :–

क्र0सं0	दिनांक	कार्यकलाप	स्थान
1	19.06.2015 9:00 बजे पूर्वा0	जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा काउसेलिंग आहूत करना।	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर।
2.	20.06.2015 9:00 बजे पूर्वा0	औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा।	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर।

संबंधित अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर उक्त कार्यक्रम के अनुरूप सभी प्रमाण पत्रों (मूलप्रति में) एवं अपना–अपना दो रंगीन पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होंगें। विस्तृत विवरणी जिला के एन0आई0सी0 के वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जा रही है।

(3). नियुक्ति के क्रम में पूर्व में आहूत काउन्सेंलिंग के दौरान जिला द्वारा संसूचित अमान्य 118 अभ्यर्थियों की सूची एवं विभिन्न कारणों से लंबित रखे गये 366 अभ्यर्थियों की सूची **की स्क्रुटनी** माननीय न्यायालय के आदेश के अनुरूप राज्य स्तर पर गठित द्विसदस्यीय समिति के द्वारा किया जाएगा।

द्विसदस्यीय समिति के द्वारा स्क्रुटनी के पश्चात योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची विहित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिनांक 07.07.2014 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। उक्त सूची को शिक्षा विभाग के वेबसाईट (www.educationbihar.gov.in) पर प्रकाशित किया जाएगा। तत्पश्चात् प्रथम चरण के उक्त काउन्सेंलिंग के उपरांत उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु उक्त सूची के अभ्यर्थियों का जिला स्तर पर द्वितीय चक्र की काउन्सेंलिंग संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निम्नकांकित कार्यक्रम के अनुरूप की जाएगी।

क्र0सं0	दिनांक	कार्यकलाप	स्थान
1	09.07.2015	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा काउन्सेंलिंग आहूत करना।	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर।
2.	10.07.2015	औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा।	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर।

4. नियुक्ति पत्र निर्गत करने की तिथि से "एक माह" के अंदर योगदान देने की समय–सीमा निर्धारित की गयी है।

ह0/- 19/5/15

(सुनील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग।